समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला पंचायत कार्यालय)
–: आदेश :–

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–31(आ0), दिनांक– 29.01.2016 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में "गैर योजना मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–लघुशीर्ष–109–पंचायतों/ स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–उप शीर्ष–0002–जिला परिषदों/ पंचायत समितियों/ ग्राम पंचायतों का चुनाव" के अंतर्गत यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराई गई कुल राशि मो0 3476160/–(चौतीस लाख छिहत्तर हजार एक सौ साठ) रूपये मात्र को निम्नवत जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को उनके नाम के सामने उपावंटित किया जाता है।

क्र0	पदाधिकारी का नाम	कुल मतदान केन्द्र	यात्रा व्यय 11 01	कुल
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा		886160	**886160**
2	प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड	295	1475000	**1475000**
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	223	1115000	**1115000**
	कुल योग :–	**2290**	**3476160**	**3476160**

मो0 (चौतीस लाख छिहत्तर हजार एक सौ साठ) रूपये मात्र

2. यह उपावंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–4–05/98–2561 वि(2) दिनांक–17.04.1998 एवं 396, दिनांक–24.04. 2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. उपावंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/ लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/ प्राथमिकता इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसगंत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ भुगतान करनेवाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या एन 2015001090002 है।

10. राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर आवंटित राशि का व्यय विवरणी निश्चित रूप से प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में चुनाव समाप्ति के एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

ह0/–
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक–....205..../पं0, मधेपुरा, दिनांक– 16 / 03 /2016.

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड एवं मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिले के वेवसाईट पर अपलोड एवं सभी संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।
16/3/16